राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– सुनील कुमार चौहान,**आर.ए.एस.**

राजस्व वाद संख्या –32 / 2018 **जीसीएमएस नम्बर –2018 / 00295**

1. राजेश दत्तक पुत्र चिरंजी उर्फ भातिया जाति धानक निवासी कुहाडवास तहसील बुहाना।
2. बिदामा पत्नी चिरंजी उर्फ भातिया जाति धानक निवासी कुहाडवास तहसील बुहाना।

.... वादीगण

बनाम

1. हनुमान पुत्र सुरजा जाति धानक निवासी कुहाडवास।
2. महताब पुत्र सुरजा जाति धानक निवासी कुहाडवास।
3. बिमला पत्नी रामेश्वर जाति धानक निवासी कुहाडवास।
4. सुशील कुमार पुत्र रामेश्वर
5. कान्ता पुत्री रामेश्वर नवीरा चन्द्रराम उर्फ चन्द्रा।
6. अनिता पुत्री रामेश्वर नवीरा चन्द्रराम उर्फ चन्द्रा।
7. पूजा पुत्री रामेश्वर नवीरा चन्द्रराम उर्फ चन्द्रा।
8. ममता पुत्री रामेश्वर नवीरा चन्द्रराम उर्फ चन्द्रा।
9. विक्रम पुत्र शेरसिंह
10. बिल्लू पुत्र शेरसिंह नवीरा चन्द्राराम जाति धानक निवासी कुहाडवास।
11. ओमपति पत्नी धीरसिंह।
12. पिंकी उर्फ विक्की पुत्र धीरसिंह।
13. जैकी पुत्र धीरसिंह।
14. दयानन्द दत्तक पुत्र गणपत उर्फ जवाहर जाति धानक निवासी कुहाडवास।
15. रामकिशन पुत्र सरदाराम जाति धानक निवासी कुहाडवास।
16. शेखावटी ग्रामीण बैक कुहाडवास।
17. उप पंजीयक बुहाना।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना।

.... प्रतिवादीगण

दावा–धोषणात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा, रिकार्ड दुरूस्ती, एवं खाता विभाजन

–: निर्णय :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.06.20 14:16:05 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक :– 24–05–2022

वादीगण की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि –

(क) यह कि वाके ग्राम कुहाडवास तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 666 रकबा 1.93 में वादी संख्या 1, 2 को 1/4 हिस्से का खातेदार कास्तकार धोषित किया जावे व प्रतिवादी संख्या 15 का नाम हटाया जाकर उसके स्थाान पर प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम 1/4 हिस्सा की खातेदारी दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 13 के नाम से 1/4 हिस्सा दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे व प्रतिवादी संख्या 14 के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तथा ग्राम कुहाडावास तहसील बुहाना स्थित हाल खसरा नम्बर 398/5 रकबा 0.12 है खसरा नम्बर 497 रकबा 0.27 है., खसरा नम्बर 501 रकबा 1.63 है. कुल किता 3 कुल रकबा 2.02 है. में वादी संख्या 1 दत्तक पिता व वादीया संख्या 2 के पति भातिया उर्फ चिरंजी सन् 1999 में फौत हो चुका है उनके स्थान पर वादी संख्या 1 , 2 के नाम से 1/4 हिस्से की खातेदारी दर्ज की जावे।
(ख) कि ग्राम कुहाडवास तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 666 रकबा 1.93 है., एवं खसरा नम्बर 398/5 रकबा 0.12 है खसरा नम्बर 497 रकबा 0.27 है., खसरा नम्बर 501 रकबा 1.63 है. कुल किता 3 कुल रकबा 2.02 है. में वादीगण के 1/4 हिस्से का खाता विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।
(ग) कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 16 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि दौराने वाद भूमि खसरा नम्बर 666 रकबा 1.93 है. भूमि को किसी अन्य को दान, रहन, बैचान ना करे ना ही वादीगण के हिस्से 1/4 के कब्जे कास्त में दखलदांजी करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई । प्रतिवादीगण की बाबजूद सम्यक तामील के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
प्रतिवादी संख्या 18 तहसीलदार बुहाना से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार बुहाना की रिपोर्ट न्रिम्नानुसार रही है कि–

1. मुताबिक जमाबंदी ग्राम कुहाडवास सं. 2075–78 के अनुसार खाता संख्या 102 के खसरा नम्बर 666 रकबा 1.93 है. दयाराम पुत्र गणपत हिस्सा 1/3 जाति धाानक सा. देह खातेदार राहिन पूर्ण बडौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैक शाखा कुहाडवास पूर्ण खाता, रामकिशन पुत्र सुरजाराम हिस्सा 1/3 धानक सा.देह खातेदार चन्द्रा पुत्र रत्तिराम हिस्सा 1/3 जाति धानक सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है।
2. मुताबिक नकल सं. 2032–35 के द्वारा जो छाया प्रति तहसीलदार बुहाना द्वारा जारी की गई है उसमें खसरा नम्बर 326/2 रकबा 7 बीधा 13 बिस्वां सुरजाराम, चन्द्राराम, चिरंजी, गणपत पि0 रामु जाति धनक दर्ज रिकार्ड थी। जमाबंदी सं. 2045–48 में सुरजाराम, चन्द्रराम पि0 रत्तिराम, गणपत बल्द रामुराम जाति धानक सा. देह खातेदार खसरा नम्बर 666 रकबा 1.93 है. में दर्ज है।
3. जमाबंदी सं. 2065–68 में उपरोक्त खसरा नम्बर 666 का रकबा 1.93 है. भूमि रामकिशन पुत्र सुरजाराम, बिदामा बेवा सुरजाराम, चन्द्रा पुत्र रतिराम, दयानन्द दत्तक पुत्र गणपत जाति धानक सा. [illegible]दार दर्ज है। दयानन्द दत्तक पुत्र गणपत हिस्सा 1/3 राहिन शे[illegible] मर्तहीन दर्ज के बजाय रामकिशन पुत्र सुरजा[illegible] 1/3 [illegible]कार होकर पैरा क्रमांक 1 के अनुसार आदिनांक दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.06.20 14:16:05 IST
Reason: SelfAttested

4. मौके पर खसरा नम्बर 666 में तकरीबन 2, 1/2 बीधा में कास्त है शेष रकबा मौके पर खाली है।
5. कब्जा का संधारण पटवारी रिकार्ड में नही किया जाता है।

दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 15–02–2022 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 22–04–2022 को प्राप्त हुई । वादीगण व उनके अधिवक्ता ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22–04–2022 के दावा को डिक्री किये जाने की सहमति जाहिर की गई।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:आदेशः–

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।अतः (1) वाके ग्राम कुहाड़वास तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 666 रकबा 1.93 है., खसरा नम्बर 398/5 रकबा 0.12 है., खसरा नम्बर 497 रकबा 0.27 है., खसरा नम्बर 501 रकबा 1.93 है. में भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 24–05–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.06.20 14:16:05 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी,बुहाना जिलाझुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारीः– सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.–32/2018
निर्णय दिनांक :– 24–05–2022

राजेश आदि **बनाम** हनुमान आदि

दावा–घोषणात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा, रिकार्ड दुरूस्ती, एवं खाता विभाजन

वादीगण की ओर से **श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट** की उपस्थिति में व प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति मे इस वाद में आज तारीख **24–05–2022** को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है।अतः (1) वाके ग्राम कुहाडवास तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 666 रकबा 1.93 है., खसरा नम्बर 398/5 रकबा 0.12 है., खसरा नम्बर 497 रकबा 0.27 है., खसरा नम्बर 501 रकबा 1.93 है. में भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 24–05–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना.

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.06.20 14:16:05 IST
Reason: SelfAttested